न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प गुढा
बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः 30/2017 दायर तारीख 04.09.2017

1. छीतर पिता प्रभूलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. मु0 घीसी बाई बेवा प्रभूलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादीगण

बनाम

1. राजू पिता दुर्गालाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. मांगीलाल पिता मनोहरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कास्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
मोहनलाल जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183—188 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णयः— दिनांक 25.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आंटी प0ह0 गुढा तह0 बिजौलियां की सरहद में आ0नं0 680/4 रकबा 7 बीघा भूमि वादी सं0 1 के पिता व वादीया सं0 2 के पति प्रभूलाल पिता मोडा धाकड के खातेदार अधिकार अधिपत्य की भूमि होकर कब्जें काश्त के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। खातेदार प्रभूलाला की मृत्यू उपरान्त वादीगण के उपयोग उपभोग एंव कब्जे काश्त में चली आ रही है। लगान राज्य सरकार में जमा करवाते आ रहें है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजीयात से कोई हक अधिकार नही है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात का कोई विक्रय हस्तान्तरण नही किया है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर फसल काश्त करते समय लडाई झगडा व मारपीट करने पर उतारु रहते है। प्रतिवादीगण काफी प्रभावशाली व्यक्ति है वादी सं0 1 के पिता व प्रतिवादी सं0 2 के पति प्रभूलाल की मृत्यू होने से प्रतिवादीगण के होसले बुलन्द हो गये। वादग्रस्त कुलिया भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया। जून 2017 मे काश्त करने गये तो वादीगण को वादग्रसत आराजीयात पर काश्त नही करने दी व झगडा करने पर उतारु हो गये एंव धमकी दी की तुम्हे काश्त नही करने देंगे। इस कारण वादीगण की वादग्रस्त आराजीयात पर स्वयं की खान का पत्थर काटकर पत्थर का स्टॉक लगा दिया है कृषि भूमि के स्वरुप को नष्ट कर दिया है। साथ ही वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को सिपूर्द किया जावे। प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति है पूनः कब्जा कर सकते है इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादग्रसत आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के उपरान्त पूनः वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा नही करे साथ ही कबजा प्राप्ति दिनांक तक लगान का 50 गुणा मुआवजा बतौर क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाई जावे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादी सं0 1 की और से वकील श्री मोहनलाल जोशी ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं0 2 की और से श्री ओमप्रकाश शर्मा ने अंडर टेकिंग लिया। किन्तु तत्पश्चात अधिकार पत्र व जवाब प्रस्तुत नही करने से एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

जवाब में अंकित किया कि वादपत्र गलत तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है वादपत्र की चरण सं0 1 में अंकित राजस्व भूमि पर खातेदार प्रभूलाल पिता मोडा धाकड कभी कब्जा नही रहा हैं प्रभूलाल धाकड की मृत्यू के पश्चात व़ादीगण का भी उक्त राजस्व भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पर वादीगणों का कब्जा नही रहा है। प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि पर काफी वर्षो से पिता के जीवन काल से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही रहा है ऐसी स्थिति में जब प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त भूमि में कभी अतिक्रमण ही नही किया है तो इसे विधी विरुद्व कब्जा नही कहा जा सकता। प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर काफी वर्षो से कब्जा चला आ रहा है ऐंसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगणों के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी किये जाने का कोई विधीक आधार शेष नही रहता है। जिससे वादीगण को वादकारण प्राप्त नही होता है एंव स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादीगण का वादपत्र पोषणीय नही है। वादीगण को उक्त आराजीयात पर विधीक रुप से कभी काबिज नही किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा सिपूर्द करने का कोई विधीक आधार शेष नही रहता है एंव वादीगण किसी तरह के मुआवजे की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण ने केवल राजस्व रिकार्ड के आधार पर गलत तथ्यो को आधार बनाकर वादपत्र पेश किया जो खारिज फरमाया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाते की नकल पेश की है ।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1 आया कि वादग्रस्त आराजी नं0 680/4 रकबा 7 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी अधिकार अधिपतय की कृषि भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण ने बिना विधीक अधिकार के कब्जा कर लिया है जो बेदखल किया जाने योग्य होकर वादीगण कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। .....जिम्मेवादीगण

2 आया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी अधिकार अधिपत्य की भूमि है प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार स्वामित्व नही होकर वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। .....जिम्मेवादीगण

3 आया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण वर्षो से काबिज है और प्रतिवादीगण के उपयोग उपीाोग में है। इस कारण वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
बिजोलियां(भीलवाड़ा)

प्रतिवादी द्वारा जवाब के अतिरिक्त किसी प्रकार के मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से तनकीवार विवेचन नही किया जा रहा है।

वादीगण ने मौखिक किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने मौखिक किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत

बहस उभयपक्षकरान सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को डिक्री किये जाने की मांग की।

बहस के. दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को सव्य खारिज किये जाने की मांग की।

प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर शिविर में निस्तारण करने हेतु सहमती व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण पर मनन किया ।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी ग्राम आटी सम्वत् 2070 से 73 के खाता संख्या 98 पर अंकित खातेदार के नाम आ0नं0 680/4 रकबा 7 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही होने से कब्जा प्राप्ति हेतु धारा 183 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी स्वयं ने जवाब में वादी के नाम पर दर्ज भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण ने जवाब के अलावा किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। वादीगण ने स्वयं ने अपने वादपत्र में कब्जा प्रतिवादी का होना लिखा है तथा कबजा हटाये जाने की मांग की है। प्रतिवादी ने कब्जा स्वीकार करते हुये यह तथ्य अंकित किया कि वर्षो पूर्व से ही प्रतिवादी काबिज हो काश्त करते आ रहे है। किन्तु प्रतिवादी ने इस तथ्य को साबित कराने हेतु किसी प्रकार की दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। केवल जवाब में तथ्य अंकित कर देने मात्र से बिना प्रमाणित किये माना नही जा सकता। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम आंटी स्थित आ0नं0 680/4 रकबा 7 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर जमाबंदी में दर्ज खातेदार को कब्जा सम्भलाने का आदेश तहसीलदार बिजौलियां को दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि रिकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम गुढा केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

25/05/18

उपखण्ड अधिकारी,
बिजोलिया
(केम्प गुढा)